कर्मचारी चयन मण्डल , भोपाल

" चयन भवन" मेन रोड़ न. चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल 462011

फोन न.- +91-755-2578801-02-03-04, Fax: +91-755-2550498,

website: www.esb.mp.gov.in, E-Complain Id : Complaint.esb@mp.gov.in

पुलिस मुख्यालय, गृह (पुलिस) विभाग, मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत आरक्षक संवर्ग (कार्यपालिक) की सीधी भर्ती हेतु चयन परीक्षा-2025 परीक्षा संचालन एवं भर्ती नियम पुस्तिका

ऑनलाईन आवेदन-पत्र			
ऑनलाईन आवेदन भरने की प्रारम्भ तिथि	: 15.09.2025	ऑनलाईन आवेदन भरने की अंतिम तिथि	: 29.09.2025
ऑनलाईन आवेदन मे संशोधन करने की प्रारम्भ तिथि	: 15.09.2025	ऑनलाईन आवेदन में संशोधन करने की अंतिम तिथि	: 04.10.2025
परीक्षा दिनांक व दिन		**30.10.2025 से प्रारम्भ**	

ई.एस.बी. परीक्षा शुल्क		
सीधी भर्ती पदो हेतु	अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिये	रू. 500/- प्रति प्रश्न पत्र
	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ ई.डब्लू.एस./ अभ्यर्थियों के लिये (केवल म.प्र. के मूल निवासियो के लिये)	रू. 250/- प्रति प्रश्न पत्र
पुलिस विभाग की विभागीय परीक्षा शुल्क	अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिये	रू. 200/- प्रति प्रश्न पत्र
	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ ई.डब्लू.एस./ अभ्यर्थियों के लिये (केवल म.प्र. के मूल निवासियो के लिये)	रू. 100/- प्रति प्रश्न पत्र
.ऑनलाईन आवेदन - कियोस्क के माध्यम से आनलाईन भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु एम.पी.आनलाईन का पोर्टल शुल्क रूपये 60/- देय होगा इसके अतिरिक्त रस्टिर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लागिन कर फार्म भरने पर पोर्टल शुल्क 20/- रू. देय होगा ।		

ऑनलाईन परीक्षा पद्धति समय सारणी

परीक्षा का नाम	**परीक्षा दिनांक एवं दिन**	**परीक्षा की पाली**	**अभ्यर्थियों के लिये रिपोटिंग समय**	**महत्वपूर्ण निर्देश पढने का समय**	**उत्तर अंकित का समय**
आरक्षक भर्ती परीक्षा-2025	30.10.2025 से प्रारम्भ	**प्रथम**	प्रातः 7:30 से 8:30 बजे तक	09:20 से 09:30 बजे तक (10 मिनट)	प्रातः 09:30 से 11:30 बजे तक (2:00 घंटे)
		द्वितीय	दोपहर 12:30 से 01:30 बजे तक	02:20 से 02:30 बजे तक (10 मिनट)	दोपहर 02:30 से 04:30 बजे तक (2:00 घंटे)

टिप्पणी :-

1. अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है ।
2. बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेस, तथा पासपोर्ट में से कोई एक को चयनित कर सकता है। यु.आई.डी.ए.आई.(UIDAI) के द्वारा सत्यापित(Verify) होने पर ही ई आधार मान्य होगा । मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के अभाव में परीक्षार्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा।
3. अभ्यर्थी को नियम पुस्तिका में विनिश्चित मूल परिचय पत्र के अतिरिक्त अपना आधार कार्ड / ई-आधार कार्ड / आधार कार्ड की छायाप्रति /आधार नंबर /आधार VID की जानकारी लाना अनिवार्य हैं |
4. परीक्षा में प्रवेश के समय एवं परीक्षा के दौरान आधार बेस्ड बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है ।
5. परीक्षार्थियों को परीक्षा में रिपोटिंग समय तक परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति होगी । इसके पश्चात विलम्ब से आने वाले अभ्यथियों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी ।
6. परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रानिक डिवाईस यथा मोबाईल फोन, केल्कुलेटर, लॉग टेबल्स, Sun glasses एवं नकल पर्चा आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है।
7. ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक के द्वारा ही ऑनलाईन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश-पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अतः आवेदन-पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी।
8. परीक्षा केन्द्र पर आवेदक को बाल प्वाइंट पेन तथा परीक्षा हाल में प्रवेश हेतु मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किये गये प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है

संख्या में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो. अनुशासनहीनता, दुराचरण अथवा अस्वस्थता के आधार पर सेवामुक्त किये गये भूतपूर्व शासकीय कर्मियों को इस सेवा में नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी. अतः इन्हे आयु सीमा में छूट की पात्रता भी नहीं होगी.

ix. केन्द्र शासन अथवा अन्य राज्यों के सेवारत अथवा भूतपूर्व शासकीय सेवकों को आयु में किसी ऐसी छूट की पात्रता नहीं है, जो इन नियमों में नहीं दी गई.

x. आयु सीमा में छूट के तहत, यदि किसी अभ्यर्थी के पास एक से अधिक छूट के आधार है, तो उसे आयु सीमा में अधिकतम लाभ के साथ छूट मिलेगी.

xi. संविदा पर कार्यरत अन्य मानद कर्मचारियों या स्वैच्छिक कर्मचारियों जैसे कि ''शिक्षाकर्मी' 'पंचायत कर्मी' आदि कर्मचारियों को आयु में छूट की सुविधा नही मिलेगी.

xii. किसी भी अन्य प्रकरण में आयु सीमा शिथिल नहीं की जायेगी. उच्चतर आयु सीमा में शिथिलता चाहने वाले उम्मीदवारों को मध्य प्रदेश अधिवासी (domicile) सहित, निर्धारित प्रारुप में प्रमाण पत्र, शारीरिक दक्षता परीक्षण में दस्तावेज सत्यापन के समय पेश करना होगा.

(8) परीक्षा योजना :-

a. **प्रथम चरण लिखित परीक्षा-** हिंदी भाषा में बहुविकल्पीय प्रश्न(MCQ):

b. **व्दितीय चरण परीक्षा योजना** :-

क. शारीरिक दक्षता परीक्षण

(9) प्रथम चरण परीक्षा योजना :-

आरक्षक (जीडी)

i.प्रथम चरण लिखित परीक्षा- हिंदी भाषा में बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQ):

क. अवधि -2 घंटे, 100 प्रश्न

ख. अंक योजना

(1) अधिकतम 100 अंक

(2) सही उत्तर के लिये +1 अंक दिए जाएंगे .

(3) जिन प्रश्नों के उत्तर के प्रयास नहीं किए गए या उत्तर गलत हैं, उनके लिये कोई अंक नहीं काटा जाएगा.

ग. प्रश्नों के प्रकार - वस्तुनिष्ठ (MCQ)

(1) 40 अंक – सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान.

(2) 30 अंक – बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि.

(3) 30 अंक- विज्ञान एवं सरल अंक गणित.

घ. वर्टिकल श्रेणी के विज्ञापित पदों के विरूद्ध सात गुना अभ्यर्थियों को कट-ऑफ़ अंकों अनुसार आरक्षक (जीडी) पद हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए चुना जाएगा। ''विशेष सशस्त्र बल एवं विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर'' के लिए एक ही कट-ऑफ अंकों का निर्धारण होगा।

ङ. होरीज़ोंटल श्रेणियों के लिए पृथक से कट-ऑफ़ अंकों का निर्धारण नहीं किया जाएगा.

(10) व्दितीय चरण परीक्षा योजना :-

आरक्षक (जीडी) के पदों हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा, जिसके अंक अंतिम प्रवीणता सूची के लिए, प्रथम चरण के अंकों के साथ जोडे जाएँगे।

(11) शारीरिक दक्षता परीक्षण-

i.शारीरिक दक्षता परीक्षण का आयोजन और मूल्यांकन एक चयन समिति जैसी कि पुलिस महानिदेशक व्दारा गठित की जाए, के पर्यवेक्षण में किया जाएगा.

अध्याय - 03

लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम.

लिखित परीक्षा में प्रथम प्रश्न पत्र होगा जिसका योग 100 अंकों का निम्नानुसार होगा। सभी प्रश्न म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मण्डल की आठवीं कक्षा के स्तर के होंगे ।

(अ)	सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान	40 अंक
(ब)	बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरूचि	30 अंक
(स)	विज्ञान एवं सरल अंक गणित	30 अंक